न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारीः संदीप कुमार आर. ए. एस.

प्रकरण सं0 252/23 **दायर दिनांक 18–09–2023**

1–अमीचन्द पुत्र श्री पालाराम जाति स्वामी साकिन वार्ड न0 1 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

2–रजीराम पुत्र श्री मुखराम जाति जाट साकिन लूणकरणसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर राज0

——— वादीगण

बनाम

1– लिलूराम
2– औमप्रकाश
3– धनश्याम
4– दौलतराम
5– भंवरी
6–इन्द्रा

पुत्रगण/ पुत्रीयां श्री बीरबल जाति ब्राहम्ण साकिन उदयपुर तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

7– आशीष सिंगल पुत्र श्री गजानंद सिंगल जाति अग्रवाल साकिन सिरसा रोड़ सेक्टर न0 हिसार तहसील व जिला हिसार हरियाणा

8– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

——— प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 राज0 काश्त0 अधि0 1955

उपस्थित :–

1– राजवीर भादू, सुर्य प्रकाश चौहान अभिभाषकगण वादीगण

2– पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ ।

–:– निर्णय –:– **दिनांक :–** 05.02.2024

–:– निर्णय –:– **दिनांक :–**

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित / उभयपक्षो को सुना गया। प्रकरण के सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी न0 1 ता 7 के नाम से संयुक्त खाते की भूमि रोही उदयपुर सादानी तहसील सूरतगढ के खाता सं0 46/71 के खसरा न0 11/3 की 5.401 है0 बारानी खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है । जैरवाद भूमि में वादी नं0 1 का 0.736 है0 , वादी न0 2 का 0.807 है0 , प्रतिवादी सं0 1 ता 6 का 1.158 है0 , प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का 1.350 है0 एवं प्रतिवादी स0 7 का 1.350 है0 खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जैरवाद भूमि वादी न0 1 ने पदमसिंह पुत्र श्री नारायण सिंह से एवं वादी न0 2 ने राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्रवण कुमार से जरिये बैयनांमा खरीद की है । खरीद के समय से ही जहां वादीगण को कब्जा दिया गया था वहा पर वादीगण का कब्जा कास्त शान्ति पूर्वक चला आ रहा है । वादीगण एवं प्रतिवादी न0 1 ता 7 जैरवाद भूमि पर आज तक कब्जा कास्त बदस्तुर लगातार चला आ रहा है । वादीगण एवं प्रतिवादी न0 1 ता 7 द्वारा उक्त खरीद शुदा रकबा का आपसी घरेलू बंटवारा पूर्व पश्चिम लम्बाई के आधार पर किया गया है जिसके मुताबिक वादी न0 1 का कब्जा कास्त में भूमि वाके रोही उदयपुर सादानी के खसरा नं0 11/3 में 0.736 है0 बारानी जो एन एच 62 पर एक बिघा चौड़ाई , पूर्व पश्चिम लम्बाई में जिसमें पश्चिाम में एन एच 62 , पूर्व में रेल्वे लाईन , दक्षिण में अन्य खसरा , उतर में रजिराम वादी न0 2 तथा वादी न0 2 का कब्जा कास्त में भूमि वाके रोही उदयपुर सादानी के खसरा न0 11/3 में 0.807 है0 बारानी जो एन एच 62 पर 181फुट चौड़ाई , पूर्व पश्चिम लम्बाई में जिसमें पश्चिम में एन एच 62 , पूर्व में रेल्वे लाईन , दक्षिण में अमीचन्द वादी नं0 1 , उतर में अन्य खसरा उक्त रकबे का खाता विभाजन करवाना चाहता है । वादीगण एवं प्रतिवादी न0 1 ता 7 द्वारा घरेलू बंटवारा के मुताबिक इतने वर्षो से कब्जा कास्त खसरा जात में आर्थिक एवं कठोर परिश्रम कर कास्त के उपर्युक्त बनाया है तथा उक्त कब्जा कास्त खसरा जात में उर्वरक एवं खाद डाल कर जमीन को उपजाऊ बनाया है तथा उक्त रकबा वादीगण व प्रतिवादी न0 1 ता 7 के जीवन यापन का एक मात्र सहारा है। वादीगण एवं प्रतिवादी न0 1 ता 7 के नाम जैरवाद रकबा वाके रोही उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

सादानी तहसील सूरतगढ के खाता सं0 46/71 के खसरा न0 11/3 की 5.401 है0 बारानी खातेदारी भूमि का संयुक्त खाते की होने के कारण समय पर रकम जमा न कराने के कारण कृषि विकास सुविधा से वंचित यानि सहकारी सोसायटी द्वारा फसल के लिए बीज – खाद उर्वरक आदि नही मिल पाते है तथा सरकार समय– 2 पर कृषक के लिए सुविधा उपलब्ध करवाती है जिसमें भी संयुक्त खाते के कारण काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है । वादीगण ने प्रतिवादी न0 1 ता 7 को घरेलू बंटवारे एवं कब्जा काश्त के मुताबिक ही खाता अपने–2 कब्जा अनुसार विभाजन करवाने हेतू कई मरतबा कहां काफी दिनो तक तो प्रतिवादी कहते रहे कि तहसील हाजा में जाकर कब्जा काश्त के आधार पर ब्यान देकर खाता विभाजन करवा लेगें । लेकिन काफी दिनो तक ब्यान करने नही आया टाल मटोल करते रहे आखिरकार दिनांक 20–08–2023 को प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इन्कार कर दिया इसलिए वादीगण ने कब्जा कास्त मुताबिक खाता विभाजन करने का निवेदन किया।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1 ता 7 की रजिस्ट्र तामिल करवाने के पश्चात न्यायालय में हाजिर नही आने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी न0 8 पैरोकार राज उपस्थित ।

इसके पश्चात वाद में तनकीयात कायम होने पर साक्ष्य वादीगण एवं प्रतिवादीगण करवाये गये। इसके पश्चात प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

1–आया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 7 के नाम संयुक्त खाता की भूमि रोही उदयपुर सादानी के खाता सं0 46/71 के खसरा न0 11/3 की 5.401 है0 बारानी खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है? --वादीगण

2–आया कि वादीगण ने उक्त जैरवाद रकबा पदमसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह एव राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्रवणकुमार से जरिये बैयनांमा खरीद शुदा है ? --वादीगण

3–आया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का घरेलू बंटवारे के आपसी सहमति एव रजामन्दी के अनुसार कब्जा कास्त को मध्य नजर रखते हुये खाता विभाजन करवाने के हकदार है? --वादीगण

4– अनुतोष

तनकीयात कायम करने के पश्चात पक्षकारान के साक्ष्य लिये गये साक्ष्य में वादीगण द्वारा स्वयं का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया किये गये ।

इसके पश्चात साक्ष्य तनकीवार तर्क पक्षकारान सुना गया। विद्धान अभिभाषकगण वादीगण ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों एवं प्रमाणित दस्तावैजो की तरफ ध्यान आकर्षित करवाते हुए निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी न0 1 ता 7 के नाम से संयुक्त खाते की भूमि रोही उदयपुर सादानी तहसील सूरतगढ के खाता सं0 46/71 के खसरा न0 11/3 की 5.401 है0 बारानी खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है । जैरवाद भूमि में वादी नं0 1 का 0.736 है0 , वादी न0 2 का 0.807 है0 , प्रतिवादी सं0 1 ता 6 का 1.158 है0 , प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का 1.350 है0 एवं प्रतिवादी स0 7 का 1.350 है0 खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जैरवाद भूमि वादी न0 1 ने पदमसिंह पुत्र श्री नारायण सिंह से एवं वादी न0 2 ने राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्रवण कुमार से जरिये बैयनांमा खरीद की है । खरीद के समय से ही जहां वादीगण को कब्जा दिया गया था वहा पर वादीगण का कब्जा कास्त शान्ति पूर्वक चला आ रहा है । वादीगण एवं प्रतिवादी न0 1 ता 7 जैरवाद भूमि पर आज तक कब्जा कास्त बदस्तुर लगातार चला आ रहा है । वादीगण एवं प्रतिवादी न0 1 ता 7 द्वारा उक्त खरीद शुदा रकबा का आपसी घरेलू बंटवारा पूर्व पश्चिम लम्बाई के आधार पर किया गया है जिसके मुताबिक वादी न0 1 का कब्जा कास्त में भूमि वाके रोही उदयपुर सादानी के खसरा नं0 11/3 में 0.736 है0 बारानी जो एन एच 62 पर एक बिघा चौड़ाई , पूर्व पश्चिम लम्बाई में जिसमें पश्चिाम में एन एच 62 , पूर्व में रेल्वे लाईन , दक्षिण में अन्य खसरा , उतर में रजिराम वादी न0 2 तथा वादी न0 2 का कब्जा कास्त में भूमि वाके रोही उदयपुर सादानी के खसरा न0 11/3 में 0.807 है0 बारानी जो एन एच 62 पर 181फुट चौड़ाई , पूर्व पश्चिम लम्बाई में जिसमें पश्चिम में एन एच 62 , पूर्व में रेल्वे लाईन , दक्षिण में अमीचन्द वादी न0 1 , उतर में अन्य खसरा उक्त रकबे का खाता विभाजन करवाना चाहता है । वादीगण एवं प्रतिवादी न0 1 ता 7 द्वारा घरेलू बंटवारा के मुताबिक

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

इतने वर्षो से कब्जा कास्त खसरा जात में आर्थिक एवं कठोर परिश्रम कर कास्त के उपर्युक्त बनाया है तथा उक्त कब्जा कास्त खसरा जात में उर्वरक एवं खाद डाल कर जमीन को उपजाऊ बनाया है तथा उक्त रकबा वादीगण व प्रतिवादी न0 1 ता 7 के जीवन यापन का एक मात्र सहारा है। वादीगण एवं प्रतिवादी न0 1 ता 7 के नाम जैरवाद रकबा वाके रोही उदयपुर सादानी तहसील सूरतगढ के खाता सं0 46/71 के खसरा न0 11/3 की 5.401 है0 बारानी खातेदारी भूमि का संयुक्त खाते की होने के कारण समय पर रकम जमा न कराने के कारण कृषि विकास सुविधा से वंचित यानि सहकारी सोसायटी द्वारा फसल के लिए बीज – खाद उर्वरक आदि नही मिल पाते है तथा सरकार समय– 2 पर कृषक के लिए सुविधा उपलब्ध करवाती है जिसमें भी संयुक्त खाते के कारण काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है । प्रतिवादीगण के द्वारा संयुक्त खाते की भूमि का घरेलू बंटवारा के मुताबिक विभाजन करवाने के लिए बार बार टालमटोल तथा इन्कार करने के कारण वादीगण को अपने हक व हिस्सा की भूमि का खाता विभाजन करवाने का कानूनी हकदार है । इसलिए वादीगण के विद्वान अभिभाषकगण ने वाद डिक्री करने का निवेदन किया।

दोनो पक्षो की तरफ से दौराने बहस प्रस्तुत तर्को एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का मनन किया गया। विस्तृत विवेचना एव विश्लेषण तनकीवार निम्न प्रकार से है :–

तनकी न0 1–आया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 7 के नाम संयुक्त खाता की भूमि रोही उदयपुर सादानी के खाता सं0 46/71 के खसरा न0 11/3 की 5.401 है0 बारानी खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने वाद पत्र के साथ प्रमाणित जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 2072 वाके रोही उदयपुर सादानी के खाता सं0 46/71 के खसरा न0 11/3 में 5.401 है0 बारानी खातेदारी भूमि की प्रस्तुत की गई । वादीगण द्वारा शपथ–पत्र के द्वारा प्रर्दशित करवाया गया है। जिससे यह सिद्ध होता है जैरवाद रकबा वर्तमान जमाबन्दी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है। तनकी नं0 1 बहक वादीगण निर्णित की जाती है ।

तनकी न0 2–आया कि वादीगण ने उक्त जैरवाद रकबा पदमसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह एव राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्रवणकुमार से जरिये बैयनांमा खरीद शुदा है ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने वाद पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी में वादी न0 1 के नाम जरिये बैयनांमा पदमसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह द्वारा करवाये जाने के पश्चात इन्तकाल सं0 748 तथा वादी न0 2 के नाम जरिये बैयनांमा राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्रवणकुमार द्वारा करवाये जाने के पश्चात इन्तकाल सं0 758 राजस्व रिकार्ड दर्ज हुआ है । जो प्रमाणित जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 2072 वाके रोही उदयपुर सादानी के खाता सं0 46/71 के अवलोकन से पूर्णरूप से सिद्ध होता है । तनकी नं0 2 बहक वादीगण निर्णित की जाती है ।

तनकी न0 3–आया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का घरेलू बंटवारे के आपसी सहमति एव रजामन्दी के अनुसार कब्जा कास्त को मध्य नजर रखते हुये खाता विभाजन करवाने के हकदार है?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने ने उक्त संयुक्त खाते की भूमि का जरिये बैयनांमा मूल खातेदार पदमसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह तथा राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्रवणकुमार से खरीद किया गया । जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन हुआ है । तथा मूल खातेदार पदमसिंह व राजेन्द्र कुमार के द्वारा उक्त जैरवाद रकबा का घरेलू बंटवारा के मुताबिक वादी न0 1 को वाके रोही उदयपुर सादानी के खसरा न0 11/3 में 0.736 है0 बारानी जो एन एच 62 पर एक बीघा चौड़ाई , पूर्व पश्चिम लम्बाई में जिसमें पश्चिाम में एन एच 62 , पूर्व में रेल्वे लाईन , दक्षिण में अन्य खसरा , उतर में रजिराम वादी न0 2 तथा वादी न0 2 का कब्जा कास्त में भूमि वाके रोही उदयपुर सादानी के खसरा न0 11/3 में 0.807 है0 बारानी जो एन एच 62 पर 181फुट चौड़ाई , पूर्व पश्चिम लम्बाई में जिसमें पश्चिम में एन एच 62 , पूर्व में रेल्वे लाईन , दक्षिण में अमीचन्द वादी न0 1 , उतर में अन्य खसरा का कब्जा सम्भलाया गया । जिस पर बैयनांमा के वक्त से ही वादीगण के द्वारा कब्जा कास्त की जा रही है । जिसे आर्थिक व शारीरिक मेहनत के द्वारा अपने कब्जा कास्त की भूमि में सुधार करवाया गया है । जिस पर वादीगण द्वारा शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है । इस पर किसी पक्षकार द्वारा किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति न्यायालय में हाजिर होकर नही की गई है । तनकी न0 3 बहक वादीगण निर्णित की जाती है ।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तनकीवार उपरोक्त विवेचना अनुसार तनकीयात बहक वादीगण निर्णित हो चुकी है । वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 7 के नाम जैरवाद रकबा वाके रोही उदयपुर सादानी के खाता सं0 46/71 के खसरा न0 11/3 में 5.401 है0 बारानी खातेदारी भूमि संयुक्त खाते की भूमि का वादीगण की खरीद से पूर्व ही मूल खातेदारो के द्वारा आपसी सहमति व रजामन्दी के द्वारा घरेलू बंटवारा काफी वर्षो पूर्व किया जा चुका है और उसी बंटवारे के मुताबिक वादी न0 1 को वाके रोही उदयपुर सादानी के खसरा न0 11/3 में 0.736 है0 बारानी जो एन एच पर एक बीघा चौड़ाई , पूर्व पश्चिम लम्बाई में जिसमें पश्चिाम में एन एच , पूर्व में रेल्वे लाईन , दक्षिण में अन्य खसरा , उतर में रजिराम वादी न0 2 तथा वादी न0 2 का कब्जा कास्त में भूमि वाके रोही उदयपुर सादानी के खसरा न0 11/3 में 0.807 है0 बारानी जो एन एच पर 181फुट चौड़ाई , पूर्व पश्चिम लम्बाई में जिसमें पश्चिम में एन एच , पूर्व में रेल्वे लाईन , दक्षिण में अमीचन्द वादी नं0 1 , उतर में अन्य खसरा का कब्जा सम्भलाया गया । जिस पर वादीगण के द्वारा बैयनांमा के वक्त से लेकर आज तक कब्जा कास्त चला आ रहा है । जिसे वादीगण के द्वारा प्रमाणित दस्तावैजो तथा शपथ–पत्रो के द्वारा सिद्ध किया है । जिस पर किसी पक्ष की कोई भी आपत्ति नही आई है । अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

उक्त विवेचन अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर रोही उदयपुर सादानी के खाता सं0 46/71 के खसरा न0 11/3 में 5.401 है0 बारानी खातेदारी भूमि का निम्न प्रकार से खाता विभाजन स्वीकार किया जाता है :–

क. स.	नाम काश्तकार	चक/ ग्राम	ख0न0	किला नम्बर / रकबा
1–	अमीचन्द पुत्र श्री पालाराम जाति स्वामी साकिन वार्ड न0 1 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0 खातेदार	उदयपुर सादानी	11/3	0.736 है0 बारानी जो एन एच पर एक बीघा चौड़ाई , पूर्व पश्चिम लम्बाई में जिसमें पश्चिाम में एन एच , पूर्व में रेल्वे लाईन , दक्षिण में अन्य खसरा , उतर में रजिराम वादी न0 2
2–	रजीराम पुत्र श्री मुखराम जाति जाट साकिन लूणकरणसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर राज0 खातेदार	उदयपुर सादानी	11/3	0.807 है0 बारानी जो एन एच पर 181फुट चौड़ाई , पूर्व पश्चिम लम्बाई में जिसमें पश्चिम में एन एच , पूर्व में रेल्वे लाईन , दक्षिण में अमीचन्द वादी नं0 1 , उतर में अन्य खसरा

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है । यदि किसी खातेदार का हिस्सा किसी वितिय संस्था के रहन है तो सम्बन्धित खातेदार के नाम रखा जावे । डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना –2 वहन करे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2024 को खुले न्यायालय में सनाया गया ।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

(आदेश 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इश्तदाई

अज अदालत –सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी , सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

बइजलास – श्री संदीप कुमार आर. ए. एस.

अनवान :

1–अमीचन्द पुत्र श्री पालाराम जाति स्वामी साकिन वार्ड न0 1 सूरतगढ तहसील सूरतगढ

2–रजीराम पुत्र श्री मुखराम जाति जाट साकिन लूणकरणसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर राज0

———— वादीगण

बनाम

1– लिलूराम
2– औमप्रकाश
3– धनश्याम
4– दौलतराम
5– भंवरी
6–इन्द्रा

पुत्रगण/ पुत्रीयां श्री बीरबल जाति ब्राहम्ण साकिन उदयपुर तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

7– आशीष सिंगल पुत्र श्री गजानंद सिंगल जाति अग्रवाल साकिन सिरसा रोड़ सेक्टर नं0 हिसार तहसील व जिला हिसार हरियाणा

8– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

———— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 209 आर. टी. ए. मुकदमा नं0 252 वर्ष 2023 यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादीगण राजवीर भादू, सुर्य प्रकाश चौहान व राज पैरोकार तहसीलदार सूरतगढ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है ।

वाद वादीगण स्वीकार कर निम्न प्रकार से आदेशित कर डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते है :–

रोही उदयपुर सादानी के खाता सं0 46/71 के खसरा न0 11/3 में 5.401 है0 बारानी खातेदारी भूमि का निम्न प्रकार से खाता विभाजन स्वीकार किया जाता है :–

क्र. स.	नाम काश्तकार	चक/ ग्राम	ख0न0	किला नम्बर / रकबा
1–	अमीचन्द पुत्र श्री पालाराम जाति स्वामी साकिन वार्ड न0 1 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0 खातेदार	उदयपुर सादानी	11/3	0.736 है0 बारानी जो एन एच पर एक बीघा चौड़ाई , पूर्व पश्चिम लम्बाई में जिसमें पश्चिाम में एन एच , पूर्व में रेल्वे लाईन , दक्षिण में अन्य खसरा , उतर में रजिराम वादी न0 2
2–	रजीराम पुत्र श्री मुखराम जाति जाट साकिन लूणकरणसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर राज0 खातेदार	उदयपुर सादानी	11/3	0.807 है0 बारानी जो एन एच पर 181फुट चौड़ाई , पूर्व पश्चिम लम्बाई में जिसमें पश्चिम में एन एच , पूर्व में रेल्वे लाईन , दक्षिण में अमीचन्द वादी न0 1 , उतर में अन्य खसरा

यदि किसी खातेदार का हिस्सा किसी वितिय संस्था के रहन है तो सम्बन्धित खातेदार के नाम रखा जावे । इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है । किसी पक्षकार की भुमि रहन है तो रहन का अंकन यथावत रहेगा ।

नोज ...×.....मुबलिग ...×.....बाबत .....×.....खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर ...×.....फसदो की पालना.....×.....आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे ।

बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 05.02.2024 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)